सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.5.18	अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक उत्तरवादी संख्या 1 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 19–04–2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट संख्या 3 मनीराम के स्वर्गवास हो जाने के कारण उसके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में चूंकि अपीलांट संख्या 3 एक हितबद्व पक्षकार है तथा वादगत् भूमि पर उसके हक व हकूक हासिल होने से उसके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलांट संख्या 3 के जायज वारिसान किशनीदेवी पत्नी मनीराम व सुनील पुत्र मनीराम को बतौर अपीलांट प्रतिस्थापित करने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रस्तुत अपील में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, दक्षिण बीकानेर के आदेश दिनांक 22–05–1992 के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी। चूंकि अब पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है व पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद इस बाबत् नहीं रहने के कारण अपीलांट अब अपनी अपील चलाना नहीं चाहते है। अपीलांट अपील इसी स्टेज पर विड्रा करना चाहते है। अतः अपील इसी स्टेज पर जरिये विड्रावल निर्णित करने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक उत्तरवादी संख्या 1 ने प्रतिउत्तर बहस में कथन किया कि उपारोक्त उनवानी अपील में रेस्पोडेन्ट के हित निहित है तथा प्रकरण काफी वर्षो से न्यायालय में जैरकार है जिसमें रेस्पोडेन्ट को लाखों रूपये की आर्थिक हानि हुई है। इसलिए अपीलांट को अपील विड्रा की अनुमति प्रदान नहीं की जावें एवं रेस्पोडेन्ट को कॉस्ट के रूप में राशि 50000/– दिलवाई जावे। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विड्रा प्रार्थना पत्र उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर के आदेश दिनांक 22–05–1992 के विरूद्व उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है जिस पर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पक्षकरो द्वारा राजीनामा के आधार पर निस्तारण किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये है। चूंकि प्रकरण में राजस्व मण्डल, अजमेर से रिमण्ड होकर प्राप्त होने पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थिति आये व अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि चूंकि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है ऐसी स्थिति में वे अपील को विड्रा करना चाहते है।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), बीकानेर दिनांक 22–05–1992 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा अब अपीलांट ही उक्त अपील को जरिये राजीनामा विड्रा करना चाहते है। ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट ही व्यथित थे व अब वे ही उक्त आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील को विड्रा करना चाहते है। लिहाजा रेस्पोडेन्ट का उक्त कथन कि अपील विड्रा की अनुमति प्रदान नहीं की जावे, का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त आगामी कार्यवाही से अपीलांट स्वयं बाधित है भविष्य में अपीलांट अपने लिखित अभिकथनों से अर्थात रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेंगें। लिहाजा अपीलांट की अपील जरिये विड्रावल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।